न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्या :–116/2016(2016/00116)/225/ब्यावर

1. घीसा पुत्र मेधा
2. सोहनसिंह पुत्र अजीमा
3. नैनूसिंह पुत्र अजीमा
4. कोयली पुत्री अजीमा
5. शांति पुत्री अजीमा
6. हुकमसिंह पुत्र मोहन
7. कैलाश सिंह पुत्र मोहनसिंह
8. सुशीला पुत्री मोहनसिंह
9. मांगी बेवा मोहन सिंह
10. सुगना पुत्री अजीमा

समस्त जाति रावत निवासी ग्राम रामेखेड़ा धनार तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,ब्यावर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर।
3. मंगल सिंह पुत्र डूंगरसिंह
4. धीसा सिंह पुत्र मिठूसिंह
5. कानसिंह पुत्र मिठूसिंह
6. मंगल सिंह पुत्र चन्द्रसिंह

समस्त जाति रावत निवासी ग्राम रामखेड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के दिनांक 18.02.2016, प्रकरण संख्या /2016

उपस्थितः–

1. श्री जी.एस.लखावत अपीलांटस की ओर से।
2. श्री धर्मवीर चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो.संख्या 01,2 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 06 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांकः 26.09.2018

01. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 18.02.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई हैं।

02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में ग्राम रामखेड़ा धनार तहसील ब्यावर में स्थित खाता संख्या 18 तथा खाता संख्या 19 के कुल रकबा 27 बीघा भूमि जिसके खाता संख्या 18 के खातेदारी वादी संख्या 01 तथा खाता 19 की भूमि वादी संख्या 2 से 10 की संयुक्त रूप से खातेदारी की भूमि हैं तथा वाद पत्र के चरण संख्या 01 स में वर्णित खसरा नम्बर 548 की 31–16–00 बीघा भूमि जो वादीगण की खातेदारी की भूमि के दक्षिणी पूर्वी में अड़ती हुई चली

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आ रही हैं जिसका उपयोग उपभोग वादीगण के बुजुर्गो के समय से निरन्तर करते चले आ रहे हें। अभिलेखों में गलत रूप से यह भूमि सिवायचक अंकित कर दी गई तथा वाद पत्र के अभिवचनों के अनुसरण में वाद के अन्त में वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा भूमि को जबरन कब्जा करने तथा सरपंच से मिलीभगत कर इस भूमि को चरागाह भूमि में अंकित करवाने की धमकी देते कार्यवाही की, इस कारण वाद पत्र के अनुतोष के चरण में वर्णित अनुतोष वादीगण ने प्रदान करने की प्रार्थना पत्र की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के द्वारा दिनांक 18.02.2016 को वाद कारण उत्पन्न नहीं होना अंकित कर वाद लौटाये जाने के आदेश प्रदान कर दिये। जिससे असंतुष्ट एवं व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 06 अनुपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने इस कारण वाद लौटाये जाने बाबत् आदेश पारित कर दिया कि धारा 91 का नोटिस दिनांक 01.09.1997 को खसरा नम्बर 545 की .2–15–00 एवं 06–10–00 बीघ भूमि का दिया गया था जबकि वाद सम्पूर्ण 31–16–00 बीघा बाबत् प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र को वाद कारण उत्पन्न नहीं होना अंकित कर वाद लौटाये जाने के आदेश दिये जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। अपीलार्थीगण को न्यायालय में अपने वाद अपने अभिवचनों के अनुसरण में साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना है तथा इस स्तर पर न्यायालय इस प्रकार का आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है इसके बावजूद भी वाद लौटाये जाने बाबत् जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने पारित किया है वह विधि सम्मत नहीं हैं तथा अपील के माध्यम से निरस्त कर अपीलार्थी के वाद को गुणावगुण पर सुने जाने हेतु प्रषित किया जाना आवश्यक हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 18.02.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 01,02 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस निवेदन किया कि वर्तमान में विवादित आराजी सिवायचक दर्ज हैं और अपीलांटस अतिक्रमी हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत हैं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की जावें।

6.. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिगण ने वाद पत्र में विवादित भूमि को 'अ', 'ब', 'स' के सारणी में अंकित किया हैं। ग्राम रामखेड़ा धनार तहसील ब्यावर स्थित तालिका अ में खसरा नम्बर 180, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544 जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 घीसा पुत्र मेघा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं एवं तालिका ''ब'' खसरा नम्बर 179, 181, 267, 284, 285, 346, 362/1, 362/2, 363, 379, 520, 535, 546, 547, 548, 549 जमाबंदी सम्वत 2071 से 2072 अनुसार अपीलांट संख्या 02से 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। ''स'' सारणी मे खसरा नम्बर 545 रकबा 31–16–00 बीघा अंकित किया गया। वाद पत्र में सारणी 'स' के खसरा नम्बर 545 रकबा 31–16–00 बीघा अंकित कर उसी भूमि बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद करने का अनुतोष चाहा गया। जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उनको 06–10–00 बीघा एवं 02–15–00 बीघा अपना कब्जा मानते हुए इस भूमि बाबत् पर वादीगण को मिले नोटिस धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की प्रतियॉ भी प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज नहीं कर प्रथम पेशी पर ही बिना गुणावगुण पर विचार किये दावा लौटा दिया, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.02.2016 स्पीकिंग आदेश नहीं हैं उनको विस्तृत निर्णय पारित करना चाहिए था तथा वादीगण/अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु मौका दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2016 निरस्त योग्य एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त आर्ब्जरवेशन (Observation) के आधार पर प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर का निर्णय दिनांक 18.02.2016 निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर को उपरोक्त उल्लेखित Observation के क्रम में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए, तनकियात कायम कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी. एल.मेहरड़ा) 26/9/18
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. आदेश आज दिनाक 26.09..2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी. एल.मेहरड़ा) 26/9/18
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर